

**कार्यालय,
सांख्यिक, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 16-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालेजियल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु किलोवा इलेक्ट्रिकल तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 16-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालिता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-3 में दिखाया इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालिता करने वाली हैं। से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निर्णय निर्णय लिया गया :-

" निम्नी क्षेत्र में स्थापित किलोवा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालिता करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें कक्षागत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुक्त अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 16-9-2020 को अध्यक्ष सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4088	सर्वा विद्यार्थी कलेज ऑफ फार्मसी, किलोवा- किलोवा पो-बारीपुर, बस्ती।	किलोवा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सजाईपीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेक्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंचो पाठ्यक्रमों हेतु ₹30,150.00/- प्रतिवर्ष दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹40,48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समग्र-समय पर

EC No. / Item No/ Institution Name /ID/ Course	Examining Authority / Hospital	Decisions of 371 EC. (8.8.2022)
		<p>B.Pharm It was noted that institution has failed to appoint qualified faculty and comply with the prescribed statutory provisions of -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. • Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy <p>In view of above, it was decided to reject the application</p> <p>It is also noted that there were major discrepancy regarding number of faculty, their qualification as per norms and other observation made by inspectors. In view of it, it was decided to issue notice to Inspectors and seek clarification as to why their name should not be deleted from the panel of inspectors.</p>
<p>371 EC/30 UP-630/ 2022-2023</p> <p>Sun Institute Of Pharmacy 7th Km Mile Stone Nb 24 Nagla Hazi Bareilly Road Shahjahanpur 242 001</p> <p>PCI - 2408 D.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p>	<p>D.Pharm Extend approval up to 2022-2023 academic session for D.Pharm course</p> <p>Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session for D Pharm course as the institution has failed to appoint faculty as per statutory provisions of -</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. - Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy • Salary of teaching faculty is not as per regulation.
<p>371 EC/31 UP-631/ 2022-2023</p> <p>Swami Vivekanand College Of Pharmacy At VillRithiya Post Maharajpur Basti Up</p> <p>PCI - 2901</p> <p>D.Pharm B.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p> <p>B.Pharm The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur</p>	<p>D.Pharm Extend approval up to 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.</p> <p>It was noted that salary is not paid to faculty as per norms. It was decided to instruct the institution to submit compliance with documentary evidence (form 16 of each faculty).</p> <p>B.Pharm Grant approval for 2022-2023</p>